माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ

नीलामी सूचना

नीलामी की तिथि : दिनांक 27.03.2020

नीलामी का स्थान : M-Block

उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'एम' ब्लाक में स्थिति 08 दुकानें : भू—तल पर 4 दुकानें (1 मिल्क बूथ, 2 फ्रेस जूस एवं फल, 1 फोटोकॉपी) एवं प्रथम तल पर 4 दुकानें (1 मेडिसिन शॉप, 2 फोटोग्राफी शॉप, 1 इण्टरनेट कैफे) को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

इसी के साथ **06 केबिनों** : भू—तल पर **03 केबिन** (01 बैण्ड/गाउन/कोट सेलर, 01 स्टेशनरी सेलर, 01 टाइपिस्ट) **एवं <u>प्रथम तल</u> पर 03 केबिन** (01 स्टैम्प वैण्डर, 01 स्टेशनरी सेलर, 01 लाई चना सेलर) को **वार्षिक अनुज्ञप्ति** पर दिये जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नीलामी की तिथि पर उपरोक्त वर्णित दुकानों / केबिनों की संख्या घट—बढ सकती है।

दुकानों एवं केबिनों की नीलामी दिनांक 27.03.2020 (शुकवार) को प्रातः 11.00 बजे माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ 'एम' ब्लाक परिसर में की जायेगी। दुकानों के उपयोग व नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है जिन्हे इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.03.2020 से 24.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक रूपये 100.00 का शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 17.03.2020 से 25.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 2.00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

दुकानों / केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के फैजाबाद रोड की तरफ स्थित गेट नम्बर— 6 के निकट 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.03.2020 से 24.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। वरिष्ठ निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक : 16.03.2020 Sd/-संयुक्त निबन्धक (न्या0) (प्रशासन) उच्च न्यायालय, लखनऊ।

नीलामी की शर्ते

- 1. दुकान / केबिन, 'जहाँ है जैसी है' की स्थिति में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम की जायेंगी।
- 2. दुकानों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू० 40,000/— एवं केबिनों के लिये बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत राशि रू० 25,000/— नकद जमा करनी होगी, जो नीलामी समाप्त होने पर, नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापस कर दी जायेगी तथा नीलामी में सफल व्यक्ति के मामले में अग्रिम जमानत राशि उसके अनुज्ञप्ति शुल्क में समायोजित कर ली जायेगी।
- 3. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित आवेदन—पत्र पर, जिसका मूल्य रूपये 100.00 प्रति आवेदन पत्र होगा, आवेदन करना होगा जोकि माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.03.2020 से 24.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है तथा पूर्ण रूप से भरे जाने के पश्चात् इन आवेदन पत्रों को दिनांक 17.03.2020 से 25.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से शाम 2.00 तक माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर जमा किया जा सकता है।

उक्त आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किये गये आवेदन पत्र के साथ 'वरिष्ठ निबन्धक, हाई कोर्ट, लखनऊ' के नाम रूपये 100.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) दुकान/केबिन के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4 नीलाम होने वाली दुकानों / केबिनों को नीलामी वाले दिन दिनांक 27.03.2020 को नीलामी के समय से **2 घण्टे पूर्व** गेट नम्बर 6 से नियमानुसार पास / अनुमित प्राप्त कर, माननीय उच्च न्यायालय में स्थित 'एम' ब्लाक में देखा जा सकता है तथा बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त दुकानों / केबिनों का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के 'पास सेक्शन' में निर्धारित पटल पर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.03.2020 से 24.03.2020 तक प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

- 5. किसी भी दुकान की बोली हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 2,50,000.00 तथा किसी भी केबिन की बोली हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य (अनुज्ञप्ति शुल्क) रू0 25,000.00 है।
- 6. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 25 प्रतिशत धनराशि (जमानत धनराशि समायोजित करने के पश्चात् शेष धनराशि की) तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं की जाती है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

इस स्थिति में नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम बोली से दूसरे नम्बर की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सम्बन्धित दुकान / केबिन को अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकता है तथा ऐसे बोलीदाता को बोली से सम्बन्धित उपरोक्त शर्तों को पालन करना होगा। यदि दूसरे नम्बर का बोलीदाता

- भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित दुकान / केबिन की नीलामी नये सिरे से की जाएगी।
- 7. शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को विरश्ठ निबन्धक, उच्च न्यायालय लखनऊ के पक्ष में निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अविध के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके पहले से जमा 25 प्रतिशत धनराशि भी नीलामी समिति के विवेकानुसार जब्त कर ली जाएगी।
- 8. नीलामी में सफल व्यक्ति को अनुज्ञप्ति भाुल्क के साथ रू० 25,000 / दुकान के लिए तथा रू० 10,000 / केबिन के लिए 'इन्डेमिनटी धनराशि' के रूप में नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस की अविध के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अन्त में विद्युत बिलों के भुगतान एवं अन्य देयकों में समायोजित कर ली जाएगी। कोई देय शेष न रहने की स्थिति में उक्त 'इन्डेमिनटी धनराशि' लाईसेंस धारक को वापस कर दी जाएगी।
- 9. बोली में सफल व्यक्ति को दुकान / केबिन लेने से पूर्व रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 10. बोली में सफल जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन दी जायेगी, वह व्यक्ति दिनांक 31.03.2021 तक दुकान/केबिन से अपना सामान हटा कर रात्रि 12.00 बजे तक या उससे पहले दुकान खाली कर देगा, अन्यथा कोर्ट द्वारा बलपूर्वक दुकान/केबिन का कब्जा ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त भी किसी स्थिति में दुकान/केबिन का कब्जा लाईसेंस धारक द्वारा न छोडे जाने पर शेष देय धनराशि कलेक्टर के माध्यम से भू-राजस्व की भॉति वसूल करायी जाएगी।
- 11. जिस उद्देश्य हेतु दुकान/केबिन की नीलामी की जायेगी, वह दुकान/केबिन उसी उद्देश्य हेतु प्रयोग की जायेगी, अन्य किसी प्रकार से नही।
- 12. बोली में सफल व्यक्ति दुकान / केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा। बोली में सफल व्यक्ति दुकान / केबिन में उचित आकार का कूड़ादान रखेगा तथा कूड़ा—कचरा उसी कूड़ादान मे डालेगा।
- 13. बोली में सफल व्यक्ति दुकान/केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही दुकान/केबिन को कोई नुकसान पहुंचायेगा।
- 14. दुकान / केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लाईसेंस धारक की होगी तथा माननीय उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना, यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नही होगा।
- 15. दुकान / केबिन का संचालन प्रत्यके कार्य दिवस को सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 तक किया जा सकेगा।
- 16. दुकान मे प्रयोग की जाने वाली बिजली के लिये अलग से एक सब—मीटर लगा हुआ है तथा दुकान लेने वाले व्यक्ति को मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल प्रति माह उ0 प्र0 में प्रचलित बिजली दर के अनुसार उच्च न्यायालय के कैश विभाग में जमा करना होगा।
- 17. दुकानों में सामान्य बिजली कनेक्शन दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह मा0 उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबंध कर सकता है। इस

स्थिति में दुकान को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी।

- 18. एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर नही दी जायेगी।
- 19. जिस व्यक्ति को दुकान/केबिन अनुज्ञप्ति पर दी जायेगी, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह दुकान/केबिन संचालन हेतु नहीं देगा।
- 20. बोली में सफल व्यक्ति अनुज्ञप्ति पर दुकान/केबिन प्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/केबिन हस्तांतरित नहीं कर सकता है।
- 21. फोटोकापी की दुकान/केबिन के सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति, जिसको दुकान अनुज्ञप्ति पर दी जाती है, वह दुकान/केबिन में अधिकतम <u>तीन फोटोकापी मशीन</u> ही रख सकता है।
- 22. माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी दुकान / केबिन के स्थल का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- 23. यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन नही किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 24. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे तथा अन्तिम बोली सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी।
- 25. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
- 26. नीलामी के ठीक पूर्व नीलामी समिति द्वारा अन्य नियम व शर्तों की जानकारी आवश्यकता पडने पर दी जायेगी।

आज्ञा से,
Sd/संयुक्त निबन्धक (न्या०) (प्रशासन)
उच्च न्यायालय, लखनऊ।

Terms and Conditions of Auction

- 1. The shops/cabins will be auctioned for grant of license for one year (date 01.04.2020 to 31.03.2021) on 'as is where is' basis.
- 2. For participating in the auction, the bidder shall have to deposit Rs.40,000.00 for Shops and Rs.25,000.00 for Cabins in cash as earnest money, which after completion of the auction, shall be returned to unsuccessful bidders as per rules and in case of successful bidder, the earnest money will be adjusted in his annual license fees.
- 3. For participating in the auction, the interested persons shall have to apply on the prescribed application form of Rs.100.00, which may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 17.03.2020 to 24.03.2020 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M. Duly filled application forms may be submitted from 17.03.2020 to 25.03.2020 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M. in the Pass Section.

The said Application Form is also available on the official website of the Allahabad High Court (www.allahabadhighcourt.in) and may be downloaded from there. But, in such condition, the applicant is required to deposit the requisite amount of Rs.100.00 through Bank Draft drawn in favor of Senior Registrar, High Court, Lucknow.

4. Shops/Cabins, which are to be auctioned, may be inspected by the bidders at 'M' Block of High Court Building, on the day of auction i.e. 27.03.2020 two hours before commencement of auction proceedings. After duly obtaining the pass/permission from Gate No. 6, it will be the duty of the bidders to carry out the complete inspection of the abovementioned shops/cabins before bidding.

Any information regarding the auction may be obtained from the prescribed desk of the Pass Section on any working day from 17.03.2020 to 24.03.2020 at 10.00 A.M. to 02.00 P.M.

- 5. The minimum reserve price (Annual License Fees) for a <u>shop</u> is Rs.2,50,000.00 and Rs. 25,000.00 for a <u>cabin</u> and the person, who offers the highest bid will be allotted the shop/cabin.
- 6. The bidder whose final bid is accepted, will be required to deposit 25 percent amount of the bid money (balance amount after adjusting the earnest money) immediately. If 25 percent money is not deposited immediately by the bidder, then the bid shall be deemed cancelled automatically and the earnest money will be forfeited.

In this situation, the Auction Committee shall have the right to offer the shop/cabin to the next highest bidder and such bidder shall have to comply the above conditions also. In case the next highest bidder also fails to deposit 25 percent money, the concerned shop / cabin may be auctioned afresh.

7. The successful bidder will have to deposit the remaining 75 percent amount *through Bank Draft drawn in favor of Senior Registrar, High Court, Lucknow,* within 15 working days from the date of auction or else

- 25 percent deposited amount by the bidder shall be forfeited in favour of the Hon'ble High Court.
- 8. The successful bidder shall have to deposit the 'Indemnity Amount' of Rs.25,000.00 for Shops and Rs.10,000.00 for Cabins within 15 working days from the date of auction. This amount may be adjusted against the dues, if any, of electricity charges and others at the end of financial year 2020-21. In case of no dues the said 'Indemnity Amount' shall be returned to the licensee at the end of financial year 2020-21.
- 9. Before handing over the shop to the successful bidder, the bidder shall have to sign/enter into a one year license agreement with the High Court on the non judicial stamp paper of Rs. 100.00.
- 10. Successful bidder, to whom the shop/cabin is allotted, shall vacate the shop/cabin by removing all his belongings before 12.00 P.M. on 31.03.2021, failing which the Court will take over the possession of the shop/cabin forcibly. In any case the licensee of the Shop / Cabin continues possession of Shop / Cabin even after 31.03.2021 then the due amount will be recovered by way of recovery as arrear of Land Revenue through Collector.
- 11. The shop/cabin shall be used only for the purpose, for which it was auctioned and not for any other purpose.
- 12. The successful bidder is bound to maintain the shop/cabin in neat and clean condition. For this purpose, he/she will have to keep a dustbin of appropriate size for disposal of all kind of wastes.
- 13. The successful bidder shall not alter the structure of the shop/cabin in any manner and will not cause any damage to the shop/cabin.
- 14. The shop/cabin holder shall be responsible for safety of the articles kept in the shop/cabin himself/herself and the High Court, under any circumstances, shall not be liable for theft, burglary, fire or any other incident, if any.
- 15. The shop/cabin may be used from 9.00 A.M. to 7.00 P.M. on all working days.
- 16. A sub-meter has been installed for the electricity being used in the shop and the allottee of the shop has to deposit the electricity charges every month, as per the meter reading, in accordance with electricity rates prevailing in Uttar Pradesh and the cabin holder will be required to deposit the fixed electricity charges calculated as per prevailing rate in the Cash Section of the High Court.
- 17. A normal electric connection has been provided in the shops. If any allottee intends to install some specific electrical appliances which requires special electric fitting, he/she may arrange the same at his/her own expenses with prior permission of the Hon'ble High Court and the same will be uninstall at the time of vacating the shop by the allottee at his/her own cost.
- 18. One person will be allotted only one shop/cabin on license. No person shall be allotted more than one shop/cabin.

- 19. The person who is allotted shop/cabin on license, shall use the shop/cabin himself/herself and not allow any other person to operate the shop/cabin.
- 20. The successful bidder, after getting the shop/cabin on license, can not transfer the shop/cabin to any other person.
- 21. As regards photocopy shop, any person to whom the shop is allotted on license, can keep a maximum of three photocopy machines in a shop.
- 22. The High Court Administration shall have the right to carry out the inspection of the premises of any shop/cabin without any prior notice during the working hours on any working day.
- 23. In case of non-compliance of the above-mentioned conditions by the licensee, the High Court reserves the right to revoke the license.
- 24. The Auction Committee reserves the right to reject any bid without assigning any reason. The acceptance of the final bid shall be subject to the approval of the Competent Authority.
- 25. In case of any dispute with regard to auction proceeding, the jurisdiction shall be at Lucknow.
- 26. Any other terms and conditions, if required, shall be disclosed by the Auction Committee, just before the Auction.

By order of Sd/-Joint Registrar (J) (Admin.) High Court, Lucknow

केबिन हेतु

1.

केबिन की श्रेणी

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'M - Block' में स्थित के बिन को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

	(जो लागू हो उस पर टिक √ कर		(1) (2)	स्टेशनरी सेलर हेतु टाईपिस्ट हेतु		
			(3)	बैण्ड / गाउन / कोट सेलर हेतु		
			(4)	लाई चना एवं पॉपर्कान हेतु		
			(5)	स्टैम्प वैण्डर हेतु		
			(0)			
2.	प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : (जिसके नाम आवेदन किया जाना	ਵੇ)				
3.	पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम	:				
4.	लिंग	:				
5.	उम्र	:				
6.	पता	:				
			-			
7.	मोबाईल नम्बर	:				
7.	राष्ट्रीयता	:				
8.	यदि आवेदन पत्र वेब साइट से डाउन लोड किया गया है तो	:				
	डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम					
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम					
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या					
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि					
दिनांक संलग्न	ि : /03/2020 क			आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर		
नोट :				अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पर	র /	
	ड़ाइावग लाइसन्स / पन (2)			याप्रति संलग्न करनी होगी। जांक २५०३,२०२० तक है।		

दुकान हेतु

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

माननीय उच्च न्यायालय, गोमती नगर, लखनऊ के 'M - Block' में स्थित दुकान को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1.	दुकान की श्रेणी	:	
	(जो लागू हो उस पर टिक √ कर दे)	(1) (2) (3) (4)	फोटोग्राफी हेतु फोटोग्राफी हेतु मिल्क बूथ हेतु फेस जूस एण्ड फेस कट फूट्स हेतु
		(5) (6)	इन्टरनेट कैफे हेतु मेडिसिन शॉप हेतु
2.	प्रार्थी का नाम/फर्म का नाम : (जिसके नाम आवेदन किया जाना है)		
3.	पिता / पति का नाम / प्रोपराइटर का नाम	:	
4.	लिंग	:	
5.	उम्र	:	
6.	पता	:	
7.	मोबाईल नम्बर	:	
7.	राष्ट्रीयता	:	
8.	यदि आवेदन पत्र वेब साइट से : डाउन लोड किया गया है तो		
	डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम		
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम		<u> </u>
	डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि		
दिनांक संलग्न	: /03/2020 क		आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
नोट : (ड्राईविंग लाईसेन्स / पैन का	र्ड की प	केत को अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी। तेथि दिनांक 25.03.2020 तक है।